<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट</u>

“Art of Supervision of Investigation for Senior Officers”

दिनांक 02.01.2017 से 07.01.2017

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 02.01.2017 से 07.01.2017 तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों हेतु “Art of Supervision of Investigation” विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राजीव दासोत, आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक के मार्गदर्शन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 25 पुलिस अधिकारियों, जिसमें 02 पुलिस अधीक्षक, 07 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व 16 उप अधीक्षक पुलिस, ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री आनन्दवर्द्धन शुक्ला, सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस ने “Common mistake committed by I.o’s” विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए सुपरवाईजरी अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से अनुसंधान अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जाये एवं विपरीत परिस्थितियों में धैर्य व चतुराई से किस प्रकार काम लिया जाये, इस पर विस्तृत चर्चा की। अगले सत्र में श्री रमेश अरोड़ा, सेवानिवृत प्रोफेसर ने Leadership & Motivation by Supervisory officers विषय पर व्याख्यान देते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर परिणाम लिये जाने, पर विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्री राधेश्याम शर्मा, सेवानिवृत, अतिरिक्त निदेशक, एफ.एस.एल. ने Forensic supervision के महत्त्व को बताते हुए सुपरवाईजरी अधिकारियों के द्वारा अपराध स्थल पर पर्यवेक्षण की महत्ता से अवगत कराया।

श्री बी.एल.सोनी, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एस.डी.आर.एफ., राज. जयपुर ने How to prepare plan of investigation and the role of supervisory officers in investigation पर अपना व्याख्यान देते हुए सुपरवाईजरी अधिकारियों के पर्यवेक्षण की महत्ता पर विस्तृत चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री जी.एल. शर्मा, सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस ने पर्यवेक्षण की कला पर अपने सेवा अनुभवों को साझा करते हुए विस्तृत चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री आर.के. पूनिया, मेडीकल ज्यूरिस्ट, एस.एम.एस. मेडीकल कॉलेज, जयपुर ने Medico-legal examination- various aspects & tips for investigators के विभिन्न आयामों पर व्याख्यान देते हुए महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री निशीत दीक्षित, साईबर क्राईम कन्सलटेन्ट ने IT Act & Electronic evidence के सम्बन्ध में अपना व्याख्यान दिया। श्री आर.एस. बत्रा, सेवानिवृत आर.ए.एस. ने Supervision of land dispute cases से सम्बन्धित कानूनों पर विस्तृत चर्चा करते हुए भूमि सम्बन्धी विवादों में सुपरवाईजरी अधिकारियों के पर्यवेक्षण के महत्त्व पर अपना व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक ने Financial investigation of NDPS Cases से सम्बन्धित प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही एवं आर्थिक अनुसंधान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

श्री उमेश शर्मा, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश ने Reasons of acquittal, suggestions for avoiding common mistakes पर चर्चा करते हुए अनुसंधान में की जाने वाली त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्रीमती ज्योति शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेजर, सेबी, जयपुर ने Supervision of Economic offences सिक्यूरिटी मार्केट के आधारभूत सिद्धान्तों का परिचय देते हुए आर्थिक अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। अन्तिम सत्र में श्री एम.एम. अत्रे. सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस ने Supervision of bodily offences or violent crimes विषय पर अपना व्याख्यान दिया तथा ऐसे अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, ए.टी.एस. जयपुर ने Supervision of CDR Analysis का परिचय देते हुए मोबाईल फोन क्राईम, मोबाईल फोरेन्सिक एवं सी.डी.आर. विश्लेषण पर अपना विस्तृत व्याख्यान दिया तथा सी.डी.आर. विश्लेषण में पर्यवेक्षण के महत्त्व को बताया। द्वितीय सत्र में श्री महेन्द्र पीपलीवाल, ए.डी.पी. आर.पी.ए. ने Supervision of Investigation from Prosecutor's point of view अनुसंधान में पर्यवेक्षण के महत्त्व पर अपना व्याख्यान देते हुए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के नवीनतम निर्णयों पर चर्चा की। अन्तिम सत्र में प्रतिभागियों को दो समूह में बांटा जाकर गैंग रेप व ब्लाईंड मर्डर प्रकरणों में चैक लिस्ट पर आपसी परिचर्चा की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन समारोह जिसमें मुख्य अतिथि श्री ओ.पी. गल्होत्रा, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर.ए.सी., राजस्थान जयपुर के समक्ष दोनों समूहों द्वारा अपना प्रजेन्टेशन दिया गया। मुख्य अतिथि के उद्‌बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को फोटो व प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।